



अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दविस

प्रलिस के ललल:

एमएसएमई, एमएसएमई दविस और महत्त्व, एमएसएमई को बढ़ावा देने के प्रयास ।

मेन्स के ललल:

भारतीय अर्थव्यवस्था के ललल एमएसएमई का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हर साल 27 जून को [अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दविस](#) मनाया जाता है, इसका आयोजन वशिव भर में MSME के महत्त्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के ललल कलल जाता है ।

- इससे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम](#) (MSME) सस्टेनेबल ([जेड-जीरो डफिक्ट, जीरो इफेक्ट](#)) प्रमाणन योजना शुरु की गई है ।

प्रमुख बडु

इतहलस:

- अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारलल एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दविस के रूप में नामलल कलल ।
- मई 2017 में 'एनहेनसलल नेशनल कपेसललल फॉर अनलेशलल फुल पोटेन्शलल ऑफ एमएसएमई इन अचीवलल द एसडीजीज़ इन डेवलपलल कंट्रीज़' (Enhancing National Capacities for Unleashing Full Potentials of MSMEs in Achieving the SDGs in Developing Countries) नामक एक कार्यक्रम शुरु कलल गया ।
- इसे संयुक्त राष्ट्र शांलल और वकलस कोष (United Nations Peace and Development Fund) के सतत् वकलस उप-नधलल के ललल 2030 एजेंडा द्वारा वललतपोषलल कलल गया है ।

वर्ष 2022 के ललल थीम: 'लचीलापन और पुनर्रनलमाण: सतत् वकलस के ललल एमएसएमई' (Resilience and Rebuilding: MSMEs for Sustainable Development) ।

- थीम मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है ककलसी देश के सामाजकल-आर्थकल वकलस के ललल सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम एक आवश्यक घटक हैं ।

उद्देश्य:

- वशिव MSME दविस 2022 वैश्वकल अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करने में MSMEs की कषमता और उनकी भूमकल को मान्यता प्रदान करता है ।
- इसका उद्देश्य वशिव आर्थकल वकलस और सतत् वकलस में MSMEs के योगदान के बारे में सार्वजनकल जागरूकता बढ़ाना भी है ।

महत्त्व:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, औपचारकल और अनौपचारकल सभी फर्मों में MSMEs की भागीदारी 90% से अधकल है तथा कुल रोज़गार में औसतन 70% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 50% हसलसेदारी है । देश की अर्थव्यवस्था में इतने महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ MSMEs रोज़गार- सृजन, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धल के ललल आवश्यक हैं ।
- हालांकल रोज़गार सृजन में एक प्रमुख भूमकल होने के बावजूद दुनललल भर में MSMEs को सरकारों और प्रशासन से समर्थन की कमी के अलावा काम करने की स्थललल, उत्पादकता तथा अनौपचारकलता में चुनौतललल का सामना करना पड़ता है ।
- वशिव MSME दविस ऐसे उद्यमों के कषमता वसलतार और वैश्वकल अर्थव्यवस्था की मज़बूती हेतु इसका उपयोग बढ़ाने के ललल मनाया जाता है ।

सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम:

■ **परिचय:**

- सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम ऐसे संगठन हैं जो आमतौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोज़गार नहीं देते हैं, हालाँकि वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र दो-तहई से अधिक रोज़गार सृजन करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

Revised MSME Classification	Composite Criteria : Investment and Annual Turnover		
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment < Rs 1 cr and Turnover < Rs 5 cr	Investment < Rs 10 cr and Turnover < Rs 50 cr	Investment < Rs 20 cr and Turnover < Rs 100 cr

■ **भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME की भूमिका:**

- वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करते हैं, देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% का योगदान देते हैं।
- नरियात के संदर्भ में वे आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और कुल नरियात में लगभग 48% का योगदान करते हैं।
- MSME रोज़गार सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार देते हैं।
 - दलितचस्प बात यह है कि MSME ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधे से अधिक MSME ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं।

MSME क्षेत्र से संबंधित पहलें:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम एवं जूट उद्योगों सहित MSME क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत MSME क्षेत्र की कल्पना करता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में MSME को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और नविश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये नधि की योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बज़िनेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी एमएसएमई को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावर्ध ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिये गए संपार्षविक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य MSME की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाना है।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS): इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
- CHAMPIONS पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/वभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा वलिंबति भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में MSME की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSME से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये शुरू किया गया था।

स्रोत: द हट्टू

